राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2016

लोक अदालत के समक्ष

स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:– शम्भू पुत्र रामअवतार जाति सुनार निवासी लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक।

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:– तहसीलदार मालपुरा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक की कार्यवाही संख्या:–59/2016

उपस्थित:–श्री प्रमोद शर्मा, अभि0 अपीलाण्ट/श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभि0 रेस्पो0

अध्यक्ष :–श्री लोकेश कुमार गौतम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य :– श्री रईस अहमद, अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 23.06.2016

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित निर्णय पारित किया जाता है:–

अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि पर पक्का निर्माण नही होने, कब्जा छोडने व भविष्य मे राजकीय भूमि पर कब्जा नही करने का शपथ पत्र पेश किया है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार मालपुरा द्वारा निर्णय दिनांक 16.09.2015 से अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेगा। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न कर तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलांट पुनः राजकीय भूमि पर कब्जा करता है तो सी0आर0पी0सी0 की धारा 182 के तहत कार्यवाही करे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारीज किया जाता है।

याची/वादी/परिवादी
अभिभाषक

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी
राजकीय पेरोकार

सदस्य
अधिवक्ता

अध्यक्ष
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner